इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

10.9.2014

पत्रांक :58 / प्र0अ0–भवन / जोन–1 / 2012–13 दिनांक ~~/08/ 2014~~

विनियमितीकरण

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत किया जा रहा है, किन्तु इसका यह अर्थ न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर विनियमितीकरण/**Revise** मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसके स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

रोमन कैथोलिक डायोसिस आफ, रिवरेण्ड इसीडोर फर्नाण्डीज (बिशप आफ इलाहाबाद) द्वारा नजूल फ्री होल्ड उपविभाजित भूखण्ड संख्या–LL-1/2 सिविल स्टेशन इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल विद्यालय भवन मानचित्र का विनियमितीकरण उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किया जाता है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. <u>यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक</u> Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, <u>निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा</u>
3. स्थल पर ग्रीनरी वाले भाग को हरा–भरा रखने का दायित्व संस्था का होगा।
4. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना आवश्यक रूप से करना होगा
7. ग्रीन बेल्ट/पार्क के अन्तर्गत रिचार्ज/टैंक एक कोने में बनाना होगा
8. **परिसर में प्रत्येक मार्ग पर मात्र एक प्रवेश एवं एक निकास द्वार ही अनुमन्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण वैधानिक कार्यवाही हेतु बाध्यकारी होगा।**
9. पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पूर्व विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र/मुख्य अग्नि शमन अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता भू–गर्भ जल बोर्ड (सिंचाई विभाग) की अनापत्ति/प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू–स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/अधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
11. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
12. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे, तो गृहस्वामी उसे बिलम्बतम 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र निर्मित किये जाने की अपेक्षा करे तो अपने खर्चे से अपेक्षित समयावधि के अन्दर मरम्मत कराकर पूर्ववत् व्यवस्था पुनर्स्थापित करना अनिवार्य होगा।
13. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1985) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
14. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
15. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

10/09/2014

(पुष्कर श्रीवास्तव)
प्रभारी अधिकारी (जोन–2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

11-09-2014
9839050063

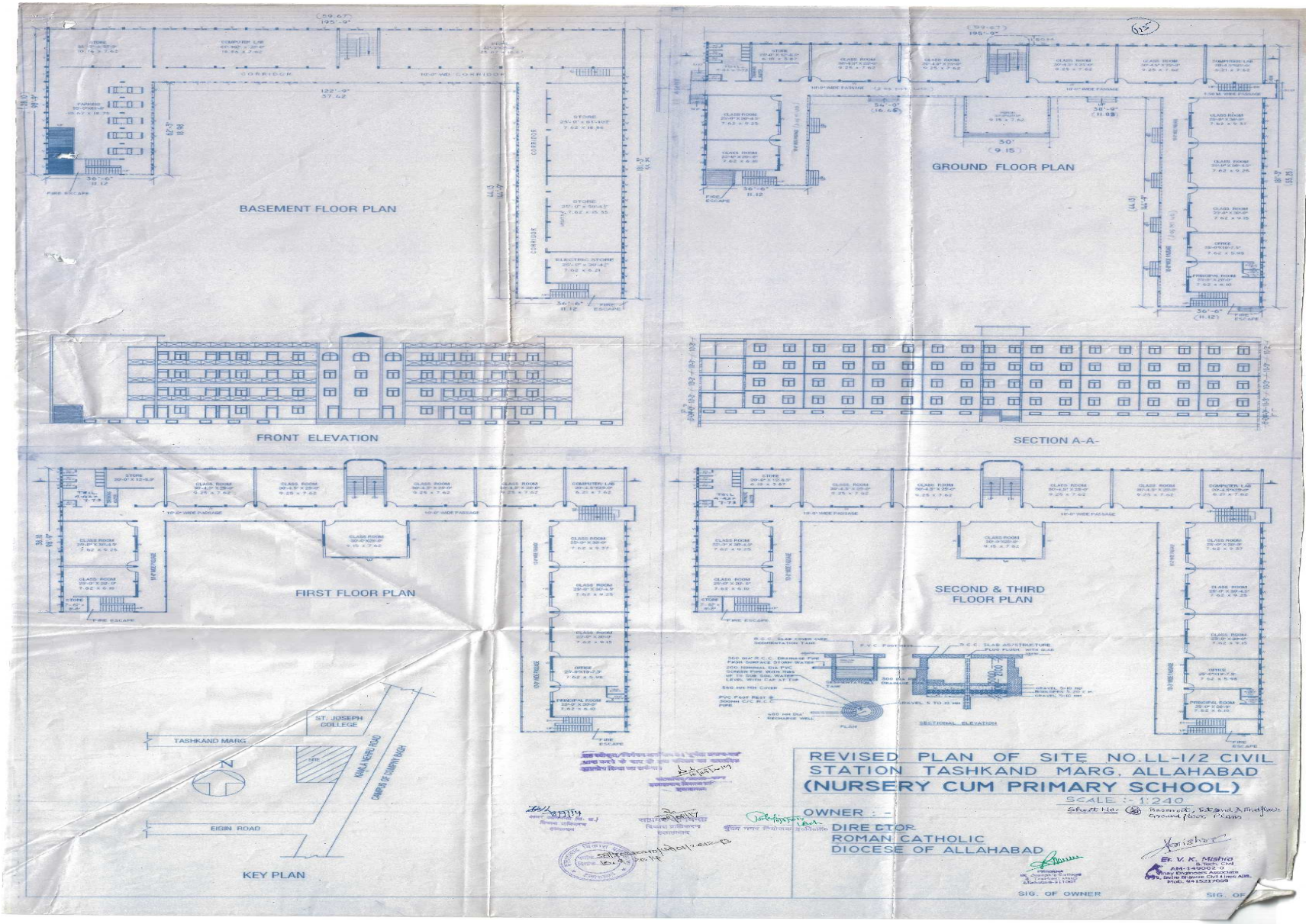

BASEMENT FLOOR PLAN
GROUND FLOOR PLAN
FRONT ELEVATION
SECTION A-A-
FIRST FLOOR PLAN
SECOND & THIRD FLOOR PLAN
SECTIONAL ELEVATION
KEY PLAN
TASHKAND MARG
ST. JOSEPH COLLEGE
KAMLA NEHRU ROAD
CAMPUS OF COMPANY BAGH
EIGIN ROAD
REVISED PLAN OF SITE NO.LL-1/2 CIVIL STATION TASHKAND MARG, ALLAHABAD
(NURSERY CUM PRIMARY SCHOOL)
SCALE :- 1:240
OWNER :-
DIRECTOR
ROMAN CATHOLIC
DIOCESE OF ALLAHABAD
Er. V. K. Mishra
SIG. OF OWNER

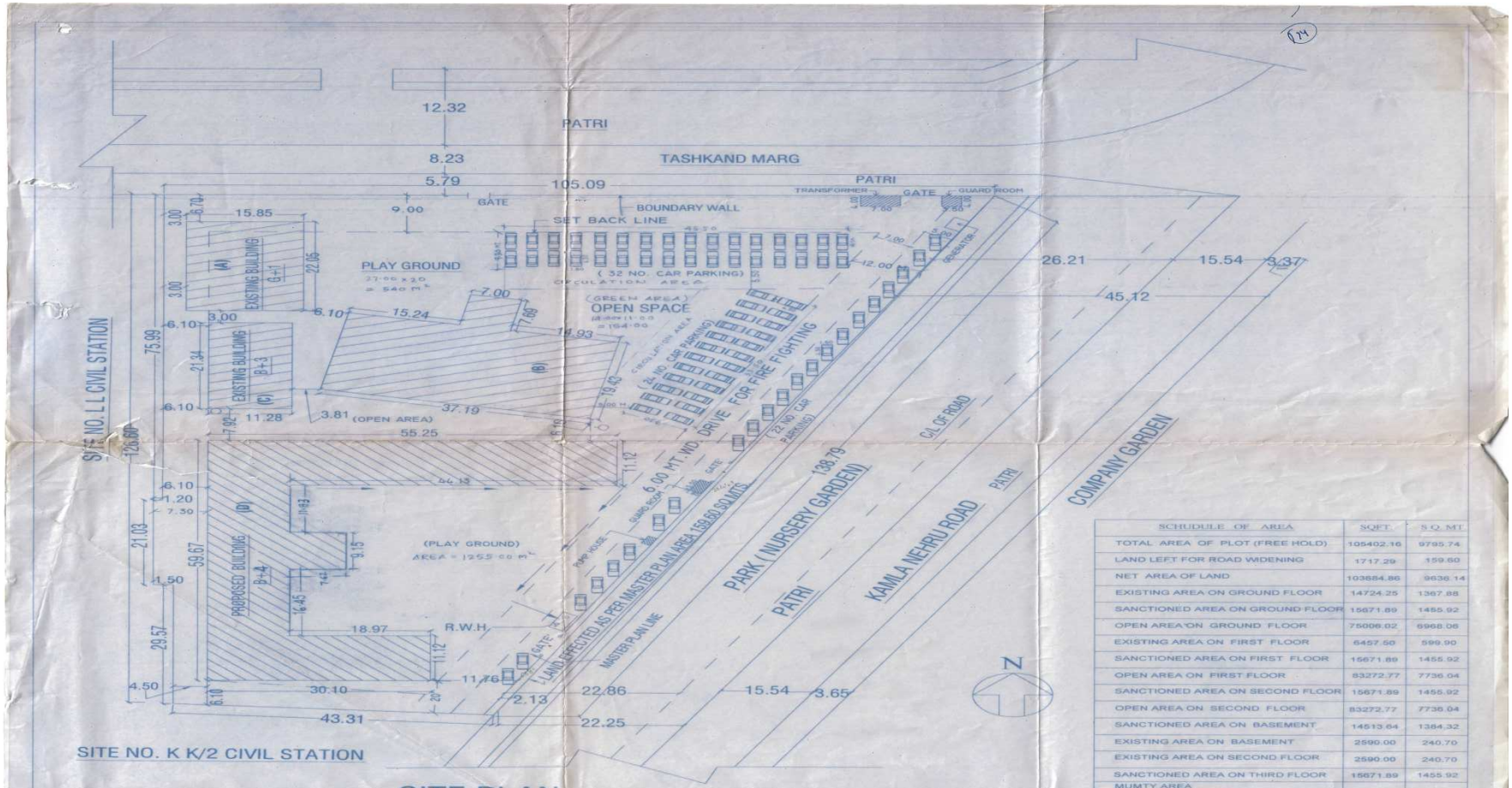

SITE PLAN 1:325

SCHUDULE OF AREA	SQFT.	S.Q. MT.
TOTAL AREA OF PLOT (FREE HOLD)	105402.16	9795.74
LAND LEFT FOR ROAD WIDENING	1717.29	159.60
NET AREA OF LAND	103684.86	9636.14
EXISTING AREA ON GROUND FLOOR	14724.25	1367.88
SANCTIONED AREA ON GROUND FLOOR	15671.89	1455.92
OPEN AREA ON GROUND FLOOR	75006.02	6968.06
EXISTING AREA ON FIRST FLOOR	6457.50	599.90
SANCTIONED AREA ON FIRST FLOOR	15671.89	1455.92
OPEN AREA ON FIRST FLOOR	83272.77	7736.04
SANCTIONED AREA ON SECOND FLOOR	15671.89	1455.92
OPEN AREA ON SECOND FLOOR	83272.77	7736.04
SANCTIONED AREA ON BASEMENT	14513.64	1384.32
EXISTING AREA ON BASEMENT	2590.00	240.70
EXISTING AREA ON SECOND FLOOR	2590.00	240.70
SANCTIONED AREA ON THIRD FLOOR	15671.89	1455.92
MUMTY AREA		
GROUND COVERAGE	28.84 %	
ACHIEVED F.A.R.	.97	
REQUIRED F.A.R.	1.00	
PROVIDE CAR PARKING (22+32+24+5)	83	
PLAY GROUND & GREEN AREA (1255+540+154)	1949.00	
5 CAR PARKING IN BASEMENT AREA		

BLOCK A, B, & C USED FOR FATHER'S RESIDENCE

It is certified that Building plan has been prepared according to Master Plan 2021/ Zonal Plan and Bhavan Upvidhi 2008

NET AREA OF PLOT = 103684.86 SQFT. OR 9636.14 Sq.Mt.

BLOCK	BASEMENT	GR. FLOOR	F. FLOOR	S. FLOOR	TH. FLOOR
A	NIL	349.49 M²	349.49 M²	NIL	NIL
B	NIL	776.43 M²	NIL	NIL	NIL
C	240.72 M²	240.72 M²	240.72 M²	240.72 M²	NIL
D	1292.87 M²	1354.17 M²	1354.17 M²	1354.17 M²	1354.17 M²
TOTAL		2720.81 M²			

GROUND COVERAGE = 28.84 %

TOTAL F.A.R. AREA = 7756.00 M²

REVISED SITE PLAN OF SITE NO.LL-I/2 CIVIL STATION ,TASHKAND MARG, ALLAHABAD. SCALE 1:325
NURSERY CUM PRIMARY SCHOOL

Sheet No (2) SITE PLAN & LANDSCAPE PLAN

OWNER : - DIRECTOR
ROMAN CATHOLIC
DIOCESE OF ALLAHABAD

SIG. OF OWNER

SIG. OF ENG.